# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या

17/2020

निरंजन कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा, प्लाट नं0 167 आदर्श नगर जयपुर रोड, मालपुरा टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक

––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

जिला कलेक्टर राजस्थान

निर्णय दिनांक 15–7–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 17–9–2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी:–

मैनें आपको 17/09/2019 को एक प्रार्थना–पत्र भेजा था डाक के द्वारा जिसका कन्साइनमेंट नंबर ER 649754161IN जिसका कोई जवाब ओर किसी भी प्रकार का कोई उत्तर हमें प्राप्त नही हुआ है तथा इसी संबंध में आपको मैने मेल भी भेजा है dm-tonk-rj@nic.in पर 07/11/2019 को 12:16 pm पर जिसका विवरण इस प्रकार से है from Niranjan kumar sharma Mail ID sharmashivraj24@gmail.com

इस भेजी गई मेल का जवाब ओर कोई उत्तर भी अभी तक प्राप्त नही हुआ है अतः अपसे आशा है इस संबंध में भेजी गई मेल ओर भेजे गए प्रार्थना पत्र का लिखित रूप में या अन्य किसी भी प्रकार से आपके द्वारा उत्तर अविलंब उचित समय पर अतिशीघ्र ही उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान किया जाए।

अपीलार्थी द्वारा निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पत्र कमांक 392 दिनांक 13–7–2020 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव जन सुनवाई प्रकोष्ठ द्वारा पत्र कमांक 3266 दिनांक 15–7–2020

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

से अवगत कराया कि आवेदक को कार्यालय हाजा के पत्र 494–497 दिनांक 3–2–2020 से सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा चाही जा रही सूचना प्राप्त करने हेतु 2 पेज के 4 रूपये की राशि नियमानुसार कार्यालय हाजा में जमा करवाकर प्रतिलिपि शाखा से वांछित सूचना प्राप्त करलें, किन्तु अपीलान्ट द्वारा सूचना प्राप्त नहीं की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner